जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे०एन०सी०यू० / सम्बद्धता / 13 / 2023 दिनांक: 07 जून, 2023

सम्बद्धता आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक: 07 जून, 2023) के अनुक्रम में कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में कवीन्द्र नारायण विधि महाविद्यालय, सुरही, बलिया को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम की स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2023–24 से 03 वर्षों हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय द्वारा बैंलेस शीट एवं अग्निशमन प्रमाण पत्र एक माह में उपलब्ध करा दिया जायेगा।
2. महाविद्यालय अपने निकटवर्ती एक गांव को गोद (एडाप्ट) लेगा तथा उसके विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
3. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण / शिक्षणेत्तर कर्मियों का सी०पी०एफ० / ई०पी०एफ० खाता खुलवाकर निर्धारित मात्रा में अंशदान कराना सुनिश्चित करें।
4. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांक: 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेश का पालन करेंगी।
5. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम / परिनियमवाली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
9. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमवाली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
11. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011, दिनांक: 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
12. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(एस०एल० पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मा० कुलपति जी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. प्रबन्धक, कवीन्द्र नारायण विधि महाविद्यालय, सुरही, बलिया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

प्रबन्धक
के.एन.ला कालेज
सुरही, बलिया

कुलसचिव

Scanned with CamS